न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 163/18 **निर्णय दिनांकः 31.01.2019**

1. उमादेवी बेवा कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी गांव बंधाला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 16—01—2004
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. सुश्री रोशनआरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 16—01—2004 जिसके द्वारा अपीलांट् के पति को आंवटित रकबा खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् के पति द्वारा बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 166/24 के किला नम्बर 10 ता 12, किला

नम्बर 19 ता 25 में कुल 9 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 9, किला नम्बर 13 ता 18 में 15 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनाक 23—05—2003 को किया गय। तत्पश्चात् अदलत मातहत द्वारा अपीलांट् के पति को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट के पति को आवंटित भूमि का आवंटन खारिज कर दिया गया। चूंकि वादगत् भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पति के आवंटन को बहाल करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट के पति को आवंटित भूमि आज दिनांक तक अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन नहीं होकर राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज भूमि है। इसलिए अपीलांट उक्त भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के पति को आवंटित भूमि निरस्त करने के बजाय वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट के जायज वारिसान को किया जाता। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व अपीलांट के वारिसान की जॉच किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार वादगत् भूमि जोकि आज दिनांक को राजस्व रिकार्ड में आराजीराज भूमि दर्ज है के आवंटन आदेश प्रदान किये जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि के आवंटन आदेश जारी करने का निवेदन किया जाता रहा, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे व्यथित होकर

अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—01—2004 के विरूद्व अपील दिनांक 16—03—2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—01—2004 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16—03—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट के पति द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 166/24 के किला नम्बर 10 ता 12, किला नम्बर 19 ता 25 में कुल 9 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 9, किला नम्बर 13 ता 18 में 15 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पति को आवंटित भूमि के बाबत् जारी आवंटन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया, आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व मूल आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। अतः आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है।

(3) इस संबंध में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत को चाहिए था कि वे आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट के जायज वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट के जायत वारिसान को किया जाना चाहिए था। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2009 पेज 730 प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया हैः—

Rajasthan Colonisation Act, 1954 Section 7 (4)- Revision against order of Commissioner Colonisation cum RAA Perusal of the file reveals that disputedland was allotted on 7-2-95 to 'I' husband of petitioner No. Smt. 'I' - No information or notice given to the allottee - It was the duty of allottment officer to inform the allottee and hand over possession of the allotted disputed land - He can not be considered tenant without handing over possession of the allotted land - Allottee expired on 7-2-95- He should have taken possession if he was informed- Amendment dated 08-08-1975 of section 7 (4) is applicable from retrospective effect- Hence, after the death of allottee , possession of land should be given to his wife or to the legal successor-In view of the amendment, order of both the subordinated courts set aside- Directions issued to hadn over possession of the land in dispute allotted on 7-2-95 to wife of 'I' within a period of three months and be recorded in the name of legal successors of the

deceased allottee 'I' as per provisions of law. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(6) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के अनुसार वादगत् भूमि आज दिनांक को आराजीराज भूमि दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट जोकि मूल आवंटी के जायज वारिसान है वादगत् भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–01–2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मूल आवंटी के जायज वारिसान की जॉच करते हुए वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर